

प्र० ५७७
१५/२१८

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(युप-२)विभाग

क्रमांक: प० 12(1)चिस्वा / २ / २०१८ / विविध

जयपुर, दिनांक: - ७. २. १८

निदेशक (जन स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राज० जयपुर।

१२३७ विषय:— डॉ मधु महला द्वारा कार्यग्रहण में अभिवृद्धि हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के
२५ FEB. 2018 सम्बन्ध में।

महोदय,

अमृत (५) उपसेक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.10.97 के अनुसार नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथी से १५/२१८ अधिकतम छः माह तक कार्यग्रहण में अभिवृद्धि प्रदान की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में चिकित्सक को दिनांक 12.07.17 को नियुक्ति पत्र जारी किया तथा दिनांक 31.12.17 तक कार्यग्रहण में अभिवृद्धि भी प्रदान की गई।

(B.W.) अतः नियमानुसार चिकित्सक को कार्यग्रहण हेतु अभिवृद्धि प्रदान नहीं जा सकती है। तदानुसार चिकित्सक को सूचित करें।

महोदय,

५१०१
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: संस्था / चिप्या० / उटी / प.०२ / २०१८ / ९५

दिनांक २२/०२/२०१८

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहा हेतु प्रेषित है:-

१. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित।
२. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर।
३. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु०स्वा०केन्द्र लक्षणगढ़, अलवर।
४. डॉ० मधु महला, चिकित्सा अधिकारी पन्नी श्री श्रवण कुमार देवन्दा निवासी--- गोरक्षनगूण तहसील- दांता रामगढ़, जिला-सीकर।
५. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभारा, मुख्यालय।
६. प्रभारी, कम्प्यूटर नर्जर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश का विभाग की वेबसाइट / संबंधित की ई-मेल आई.डी. पर डालवाना सुनिश्चित करावें।
७. निजि / आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।